

स्वास्थ्य सेवा के उप महानिदेशक (एमएच और आईएच) का कार्यालय  
 स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,  
 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
 कमरा सं। 550-ए विंग, भवन भवन  
 नई दिल्ली - 110 108

अनुसूची

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	तकनीकी अधिकारी ( आई एच आर सूचना पोर्टल) ( आईटी परामर्शदाता)	1*(2017) *कार्यभार पर निर्भरता के आधार पर भिन्न होगा	समूह "ख", अराजपत्रित, गैर अननुसचिविय, साधारण केन्द्रिय सेवा	स्तर 7 (44900 - 99800 रुपए)	लागू नहीं
2.	तकनीकी अधिकारी (आयोजना)	1*(2017) *कार्यभार पर निर्भरता के आधार पर भिन्न होगा	समूह "ख", अराजपत्रित, गैर अननुसचिविय, साधारण केन्द्रिय सेवा	स्तर 7 (44900 - 99800 रुपए)	लागू नहीं
3.	तकनीकी अधिकारी (वेक्टर नियंत्रण)	1*(2017) *कार्यभार पर निर्भरता के आधार पर भिन्न होगा	समूह "ख", अराजपत्रित, गैर अननुसचिविय, साधारण केन्द्रिय सेवा	स्तर 7 (44900 - 99800 रुपए)	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
(6)	(7)	(8)	(9)
<p>1. "30 वर्ष से अधिक नहीं"</p> <p><b>टिप्पण :-</b> आयु - सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (नाकि वह अंतिम तारीख जो असम , मेघालय, अरुणाचल प्रदेश , मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड , अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह या लक्षदीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>	<p>बी.ई/ बी. टेक/ एमसीए- (सीएस/आईटी में) आईटी (जैसे वैबसाइट डाटा प्रबंधन, डाटा अपलोडिंग , प्रोसेसिंग, डाटा का मॉनिटरिंग , रिपोर्ट तैयार करना , इत्यादि) में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव</p>	लागू नहीं	2 वर्ष
<p>2. "30 वर्ष से अधिक नहीं"</p> <p><b>टिप्पण :-</b> आयु - सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (नाकि वह अंतिम तारीख जो असम , मेघालय, अरुणाचल प्रदेश , मिजोरम, मणिपुर,</p>	<p>हवाईअड्डों/पतनों मे संगरोध सुविधाओं का निर्माण व नवीकरण में समन्वय बनाए रखने कम से कम एक वर्ष का अनुभव सहित इं जिनिअरी में</p>	लागू नहीं	2 वर्ष

<p>नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड , अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह या लक्षदीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>	<p>स्नातक डिग्री। वांछनीय: पीएचईआईसी हेतु आईएचआर आयोजना में अनुभव</p>		
<p>3. “30 वर्ष से अधिक नहीं” <b>टिप्पण :-</b> आयु - सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी   (नाकि वह अंतिम तारीख जो असम , मेघालय, अरुणाचल प्रदेश , मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड , अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह या लक्षदीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>	<p>मेडिकल एंटोमोलॉजी या मलेरियोलॉजी या फिलारियोलॉजी के क्षेत्र में शिक्षण तथा /या अनुसंधान तथा/या नियंत्रण में कम से कम एक वर्ष का अनुभव सहित विज्ञान (कीट विज्ञान ) में मास्टर</p>	<p>लागू नहीं</p>	<p>2 वर्ष</p>

<p>भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।</p>	<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्तिरया आमेलन किया जाएगा ।</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।</p>
(10)	(11)	(12)	(13)
<p>सीधी भर्ती द्वारा</p> <p><b>टिप्पण</b> पदधारी का प्रतिनियुक्त पर होने या लम्बी बिमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य कारण से एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए हुई रिक्तियों को केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भरा जाएगा</p>	<p>लागू नहीं</p>	<p>पुष्टि पर विचार करने हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति समूह "ख"</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संबंधित उप महानिदेशक - अध्यक्ष</li> <li>2. संबंधित उप सहायक महानिदेशक / संबंधित सहायक महानिदेशक - सदस्य</li> <li>3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संबंधित अवर सचिव</li> </ol>	<p>आवश्यक नहीं</p>
<p>सीधी भर्ती द्वारा</p> <p><b>टिप्पण</b> पदधारी का प्रतिनियुक्त पर होने या लम्बी बिमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य कारण से एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए हुई रिक्तियों को केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भरा जाएगा</p>	<p>लागू नहीं</p>	<p>पुष्टि पर विचार करने हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति समूह "ख"</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संबंधित उप महानिदेशक - अध्यक्ष</li> <li>2. संबंधित उप सहायक महानिदेशक / संबंधित सहायक महानिदेशक - सदस्य</li> <li>3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संबंधित अवर सचिव</li> </ol>	<p>आवश्यक नहीं</p>

<p>सीधी भर्ती द्वारा</p> <p><b>टिप्पण</b></p> <p>पदधारी का प्रतिनियुक्त पर होने या लम्बी बिमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य कारण से एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए हुई रिक्तियों को केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भरा जाएगा</p>	<p>लागू नहीं</p>	<p>पुष्टि पर विचार करने हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति समूह "ख"</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संबंधित उप महानिदेशक - अध्यक्ष</li> <li>2. संबंधित उप सहायक महानिदेशक/ संबंधित सहायक महानिदेशक - सदस्य</li> <li>3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संबंधित अवर सचिव</li> </ol>	<p>आवश्यक नहीं</p>
--	------------------	---	--------------------

**नोट:** टिप्पणिया / सुझाव कृपया 03/11/2017 तक या उससे पहले sk.singh59@gmail.com पर भेजें